

आदेश

अभियुक्त ने स्वेच्छा से जुर्म को स्वीकार कर लिया है और उसकी स्वीकारोक्ति पर उसे धारा.....*31.P.A.P.* के अन्तर्गत दोष सिद्ध किया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्त की स्थिति व तथ्यों को देखते हुए अभियुक्त को.....*10 R.P.M.* अर्थदण्ड से / चेतावनी देकर छोड़ा जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर.....*1* दिन की सजा भुगतनी होगी।

✓

JUDICIAL MAGISTRATE

MAMU-CHITRAKOOT